R.M.M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part IInd
Paper - 1st Muslimlaw
Family Law

मुस्लिम स्त्री (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986

इस अधिनियम की उत्पत्ति का इतिहास तथा घटनाक्रम की पृष्ठभूमि अह्लुवा यह चित्र खिंचाते हैं कि अधिनियम ने मुस्लिम तलाकशुदा महिला के आज तक के प्राप्त कार्यों को छीन लिया। ध्यान से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि अधिनियम न तो शाहबानो निर्णय को उलटता है और न ही दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा किये गये विकास को पलटता है। अधिनियम-1986 तलाकित पत्नी को राहत प्रदान करता है; वह यह नहीं कहता कि मेहर तलाक के लिए प्रतिफल है, या धारा-127(3)(ख) में उल्लेखित रकम का प्रतिरूप है। यह भी नहीं कहता कि तलाकशुदा पत्नी को इद्दत के बाद कोई भरण-पोषण भत्ता नहीं दिया जाय या इद्दत के बाद जीवन भर के लिए उसे त्याग दिया जाय। वह मुसलमानों को सेकुलर विधि से मुक्त भी नहीं करता। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आवारा गर्दी की हालत में धकेले जाने से बचाव पाने का उस महिला को अधिकार है। और यह अधिकार उसके स्वीय विधि अधिकारों का अंग बन गया है। अधिनियम की उद्देशिका घोषित करता है कि यह अधिनियम तलाक दी गयी

मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु है; तथा इसके अतिरिक्त उससे संबंधित एवं परिणामजन्य बातों की व्यवस्था करने हेतु है। अधिनियम के विधायन का इतिहास इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। अधिनियम का 'उद्देश्य तथा कारण' खण्ड कहता है, "उच्चतम न्यायालय ने शाहबानों में निर्णय दिया था कि यदि वह तलाकित महिला इद्दत काल के बाद स्वतः निर्वाह करने में असमर्थ है तो उसे अधिकार है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की सहारा ले। इस निर्णय के फलस्वरूप मुस्लिम पति द्वारा तलाक दी गई पत्नी के भरण-पोषण के दायित्व के विषय में एक विवाद उठ खड़ा हुआ है। अतः इस अवसर पर उचित होगा कि यह स्पष्ट कर दिया जाय कि तलाकित मुस्लिम महिला तलाक के समय कौन से अधिकार रखे? तथा उसके किन हितों का संरक्षण किया जाय।" इस प्रकार अधिनियम ऐसे निर्वचन की अपेक्षा करता है कि उसके उद्देश्य की प्राप्ति करे न कि उसे विफल करें। धारा-3 की भाषा स्पष्ट है, इसमें शंका के लिए स्थान नहीं है। एक लखपति पत्नी भी धारा-3 के अंतर्गत अपने लखपति पति से रकम मांग सकती है। वह स्वयं का जीवन निर्वाह कर सकती है अथवा नहीं यह तथ्य कहीं आड़े नहीं आता है।

अधिनियम की धारा-3 तलाकशुदा औरत को निम्न अधिकार प्रदान करती है। यथोचित व्यवस्था (i) भरण-पोषण भत्ता, (ii) उसके बच्चों के लिए दो वर्षों

के लिए भरण-पोषण एवं आर्थिक व्यवस्था
(4) मेहर की रकम तथा उसके विवाह पूर्व विवाह
पर तथा पश्चात उसे दी (गई) सभी सम्पत्ति उसे
दे दी जाए। इनमें से आर्थिक व्यवस्था तथा भरण-
पोषण की राशि उसके पूर्व पति द्वारा इद्दत काल
में ही भुगतान कर दी जानी चाहिए। धारा 3(1)
का उपखण्ड (ख) उसके पत्नी के बच्चों के भरण-पोषण
के लिए दो वर्ष की अवधि निर्धारित करता
है। पुनः धारा (3)(4) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट भरण-पोषण
के लिए अवधि निर्धारित कर सकता है। यदि
अधिनियम पत्नी के अधिकार को समय सीमाबद्ध
करना चाहता तो ऐसा स्पष्ट शब्दों में कर सकता
था। इसके अतिरिक्त धारा-3 के खण्ड (2) और
(3) के अनुसार जब पति अपना कर्तव्य निभाने
से चूक जाता है, तलाकित मजिस्ट्रेट को प्रार्थनापत्र
दे सकती है और मजिस्ट्रेट उसकी आवश्यकताओं
को ध्यान में रखते हुए, राशि का निर्धारण कर
सकता है। इन शब्दों का अर्थ कदापि नहीं लगाया
जा सकता कि बीत चुके इद्दत काल में उसकी
आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। चूँकि ऐसी
अर्जी इद्दत काल बीत जाने के बाद ही आएगी।
यदि विधायनी भरण-पोषण को इद्दत के साथ
ही बाँधना चाहती तो भाषा अलग प्रयुक्त
होती।

अधिनियम की धारा-5 पति-पत्नी दोनों पक्षों
को विकल्प देती है कि आपसी सहमति हो तो वे
दोनों मिलकर घोषणा करे कि वे द०प्र० प्रक्रिया

Scanned with CamScanner

(4)

संहिता द्वारा शासित होना चाहेंगे या व्यक्तिगत विधि द्वारा। क्या इस धारा से यह अर्थ निकलता है कि अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता के ठीक विपरीत यह दर्शाता है कि पति द्वारा भरण पोषण नहीं देने का दायित्व इद्दत के पार नहीं जाता? न्यायालय ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, कारण यदि ऐसा होता तो पति तो कभी संहिता द्वारा शासित होने का विकल्प पसंद नहीं करता और इस तरह धारा-5 अर्थहीन, निरुपयोगी सिद्ध होती। न्यायालय ने कहा कि ऐसी व्याख्या कभी स्वीकार नहीं की जा सकती

Scanned with CamScanner